No.A.11011/1/2013-Ad.IA
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs

New Delhi, the 8 ~~May~~ July, 2016

CIRCULAR

Subject: Filling up the post of Manager (Press) in Budget Press Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on Deputation/Promotion basis.

Applications in the prescribed proforma, as per the Annexure-II are invited from eligible persons for appointment to the post of **Manager Press** in Pay Band 3 of ₹ 15,600 – 39,100/- with Grade Pay of ₹ 6,600/- in Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, on deputation/promotion basis. The particulars regarding the post are given in Annexure-I.

2. It is requested that applications (in the enclosed proforma) of such eligible candidates as are desirous of being considered for the post and who can be relieved immediately on selection, may be forwarded along with their Cadre clearance, Vigilance Clearance, Integrity Certificates, details of major/minor penalty imposed, if any and the attested photocopies of the ACRs (not below the rank of Under Secretary to the Govt. of India; with attestation on each page) for the last 5 years to the undersigned so as to reach within a period of 45 days from the date of publication of this circular. Applicants will not be allowed to withdraw their candidature at a later date. No action will be taken on advance copies of the applications or applications not received through proper channel.

29/6/16

(Shoba Basil)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel.No.23093888

Copy to :

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. All State Governments (As per list attached)
3. All |Sections in the Department of Economic Affairs
4. The Asstt.Editor(Advt.), Employment News, East Block IV, Level 5, R.K. Puram, New Delhi. It is requested to send the estimate and publish the circular in Employment News.
5. Financial Services Division, DEA
6. H.I.C. They are requested for Hindi version of this circular.
7. Sr.Tech.Director (NIC) with the request to upload the circular on the Ministry's Website.
8. PA to JS/Director (Budget)

ANNEXURE-I

1	Name of the post	Manager (Press)
2	Number of Posts	One
3	Classification	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non Ministerial
4	Scale of Pay	PB-3 of ₹ 15,600-39,100 + GP ₹ 6,600 /-
5	Period of Deputation	Three Years
6	Eligibility	**Eligibility:** 1(A) Officers of the Central Government or State Governments: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with 5 years regular service in the post in pay band PB-3 of ₹15600- 39100+ ₹ 5400(GP) or equivalent in the parent Cadre or Department; or (iii)With 6 years regular service in posts in the pay band PB-2, ₹ 9300- 34800 + ₹ 4800(grade pay) or equivalent in the parent Cadre or Department; or (iv)with 7 years regular service in posts; in the pay band PB-2, ₹ 9300-34800 + ₹ 4600(GP) or equivalent in the parent Cadre or Department; and (b) Possessing the educational qualification and experience as under: **Essential:** (ii) Bachelors' Degree of Engineering (printing) with specialization in Photolithography or Offset Printing from recognised University with 5 years' experience at the level of Deputy Manager or Technical Officer or equivalent in a Govt. printing press or private press or establishment with staff strength minimum 100 employees, registered under any law for the time being in force; OR (ii) Three years' diploma in Printing or allied technology with specialization in photolithography from a recognized university or institute with 7 year's experience at the level of Deputy Manager or Technical Officer or equivalent in a Govt. printing press or private press or establishment with staff

		strength minimum 100 employees, registered under any law for the time being in force. **Desirable:** (i) Knowledge of Cost Accounting either as a subject in the qualifying diploma or degree or a separate course in cost accounting from a recognized University or Institute; (ii) 5 years' experience of handling labour in a Govt. printing press or private press or establishment with staff strength of minimum 100 employees, registered under any law for the time being in force.
		The Departmental Deputy Manager (Press) will also be considered alongwith outsiders and in case, he or she is selected, the post shall be deemed to have been filled by promotion. For Armed Forces Personnel: deputation/re-employment **Armed Forces Personnel can be appointed on deputation/re-employment basis. The Armed Forces personnel of the rank** of Major in Army and equivalent in Air Force and Navy due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience shall also be considered and if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment basis (Re-employment upto the age of superannuation with reference to Civil Post) Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade

		pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than on pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation. Note 3: The Departmental officer in the feeder category in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 4: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 5: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). Note 6: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

ANNEXURE-II

PROFORMA

1. Post applied for

2. Name and address in Block Letters

3. Date of Birth

4. Date of Retirement under Central Govt. rules

5. Educational Qualifications

6. Whether educational and other qualifications Required for the post are satisfied? (If any Qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state the Authority for the same)

Qualification/Experience Required	Qualification/Experience Possessed

7. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post?

8. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

Ministry/Department	Post held	From	To	Scale of Pay And Basic Pay	Nature of Duties

9. Nature of present employment i.e. ad-hoc or Temporary or quasi-permanent or permanent

10. In case the present employment is held on Deputation basis/contract basis, please state;

    (a) The date of initial appointment
    (b) Period of appointment on deputation/contract
    (c) Name of the parent Office/Organization to which belong.

11. Additional details about present employment
    Please state whether working under

    (a) Central Government
    (b) State Government }
    (c) Autonomous Organisation }
    (d) Govt. undertaking/ Universities } (b) to (e) not applicable for adhoc.
    (e) Others

12. Are you in the revised scale of Pay? If yes, Give the date from which the revision took Place and also indicate the pre-revised scale.

13. Total emoluments per month now drawn.

14. Whether belongs to SC/ST

15. Additional information, if any
16. Remarks, if any

Signature of the Candidate

Address________________

____

Service particulars given by the applicant are verified with reference to service records and found to be correct.

(i) It is certified that no vigilance case is either pending or being contemplated against the Officer
(ii) It is certified that no major/minor penalty has been imposed on the officer during the last 10 years,
(iii) It is certified that the Integrity of the officer is beyond doubt.

Signature with seal of the Competent Authority

सं.ए-11011/1/2013-प्रशा0-।ए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांकः 8 जुलाई, 2016

परिपत्र

विषयः वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बजट प्रेस में प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति आधार पर प्रबंधक (प्रेस) के पद को भरना।

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में ₹6,600/- ग्रेड वेतन सहित ₹15,600-39,100/- के वेतन बैंड-3 में **प्रबंधक प्रेस** के पद को प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य व्यक्तियों से अनुलग्नक -।। के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में भरे हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं । पद से संबंधित विवरण, अनुलग्नक-। में दिया गया है।

2. अनुरोध है कि पद के लिए विचार किए जाने के इच्छुक ऐसे योग्य उम्मीदवारों के आवेदन (संलग्न प्रोफार्मा में), जिन्हें चयन होने पर तुरंत कार्यमुक्त किया जा सके, उनकी संवर्ग अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, उन्हें दिए गए मुख्य/गौण दंड अगर कोई हो, का ब्यौरा तथा पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की सत्यापित छायाप्रतियां (जिसका प्रत्येक पृष्ठ कम से कम भारत सरकार के अवर सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो) अधोहस्ताक्षरी को इस प्रकार अग्रेषित किए जाएं कि वे इस परिपत्र के प्रकाशित होने के 45 दिन के भीतर प्राप्त हो जाएं। आवेदकों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन की अग्रिम प्रतियों या उचित माध्यम से न भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

शोबा बेसिल
08/7/16

(शोबा बेसिल)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23093888

प्रतिलिपिः

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. सभी राज्य सरकारें (संलग्न सूची के अनुसार)
3. आर्थिक कार्य विभाग के सभी अनुभाग ।
4. सहायक सम्पादक (विज्ञापन), रोजगार समाचार पत्र, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल 5, आर.के.पुरम, नई दिल्ली। अनुरोध है कि व्यय अनुमान भेज दिया जाए और रोजगार समाचार पत्र में इस परिपत्र को प्रकाशित कर दिया जाए।
5. वित्तीय सेवाएं प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी) से अनुरोध है कि इस परिपत्र को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करा दें।
7. संयुक्त सचिव/निदेशक (बजट) के वैयक्तिक सहायक।

अनुलग्नक-I

1	पदनाम	प्रबंधक (प्रेस)
2	पदों की संख्या	एक
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-क, राजपत्रित, अननुसचिवीय
4	पद का वेतनमान	₹15,600-39,100 का वेतन बैंड-3+ ₹6,600/- ग्रेड वेतन
5	प्रतिनियुक्ति की अवधि	तीन वर्ष
6	पात्रता	**अर्हताएं:** 1 (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों के वे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में ₹15,600-39,100+₹5400 (ग्रेड वेतन) वेतन बैंड-3 में अथवा समतुल्य पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में ₹9,300-34,800+₹4800 (ग्रेड वेतन) वेतन बैंड-2 में अथवा समतुल्य पदों पर 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में ₹9,300-34,800+₹4600 (ग्रेड वेतन) वेतन बैंड-2 में अथवा समतुल्य पदों पर 7 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नानुसार शैक्षिक अहेता और अनुभव रखते हो: **अनिवार्य:** (i) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत पंजीकृत कम से कम 100 कर्मचारियों की संख्या वाले किसी सरकारी मुद्रणालय या किसी निजी मुद्रणालय या प्रतिष्ठान में उप प्रबंधक या तकनीकी अधिकारी या समतुल्य स्तर पर 5 वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फोटोलिथोग्राफी या ऑफसेट प्रिंटिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजिनियरिंग (प्रिंटिंग) में स्नातक की उपाधि; या (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत पंजीकृत कम से कम 100 कर्मचारियों की संख्या वाले किसी सरकारी मुद्रणालय या किसी निजी मुद्रणालय या प्रतिष्ठान में उप प्रबंधक या तकनीकी अधिकारी या समतुल्य स्तर पर 7 वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फोटोलिथोग्राफी की विशेषज्ञता सहित प्रिंटिंग या सहबद्ध प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा; **वांछनीय:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लागत लेखा कार्य में अर्हक डिप्लोमा या डिग्री में एक विषय के रूप में या अलग पाठ्यक्रम के रूप में लागत लेखा कार्य का ज्ञान; (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत पंजीकृत न्यूनतम 100 कर्मचारियों के स्टाफ संख्या बल वाले सरकारी मुद्रणालय अथवा

		निजी मुद्रणालय या प्रतिष्ठान में श्रमिकों को नियंत्रित करने का 5 वर्ष का अनुभव।
		बाहरी व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय उप प्रबंधक (मुद्रणालय) पर भी विचार किया जाएगा और यदि उनका चयन हो जाता है तो पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:** सशस्त्र बलों के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्त किए जा सकते हैं। सेना में मेजर और वायुसेना तथा नौसेना में समकक्ष रैंक के सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों पर, जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं अथवा जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं तथा अनुभव है पर भी विचार किया जाएगा तथा यदि उनका चयन हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सशस्त्र बलों से निर्मुक्त होने की अनुमत्य तिथि तक प्रतिनियुक्ति दी जाएगी उसके बाद वे (सिविल पदों के संदर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) पुनर्नियुक्ति आधार पर इस पर नियुक्त रह सकते हैं। **टिप्पण 1:** जहाँ कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, वहीं उनके वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा परन्तु उनके पास ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा की आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण करने वाले अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोनन्ति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजनार्थ, प्रयोजन हेतु किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 अर्थात् जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गयी है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गयी सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित तदनुरूपी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गयी सेवा समझा जाएगा, सिवाय इसके जहां एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले ग्रेड में विलय हुआ है और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए दिया जाएगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। **टिप्पण 3:** फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति के सीधे प्रक्रम में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

		टिप्पण 4: केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित किसी अन्य काडर-बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 5:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 6:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 अर्थात् जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गयी है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गयी सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित तदनुरूपी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गयी सेवा समझा जाएगा, सिवाय इसके जहां एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले ग्रेड में विलय हुआ है और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए दिया जाएगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान उन्नयन के बिना किसी सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

अनुलग्नक-।।

प्रोफार्मा

1. आवेदित पद का नाम
2. नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)
3. जन्म तिथि
4. केन्द्र सरकार के नियमों के अधीन सेवा-निवृत्ति की तारीख
5. शैक्षिक अर्हताएं
6. क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं (यदि कोई अर्हता नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष मानी गई है तो उसके लिए प्राधिकार का उल्लेख करें)

	अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	**धारित अर्हताएं/अनुभव**

7. कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि आपके द्वारा दी गई उपर्युक्त प्रविष्टियों के आधार पर क्या आप इस पद की अपेक्षाएं पूरी करते हैं ?
8. रोजगार का कालक्रमानुसार विवरण (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अपने हस्ताक्षर से यथा प्रमाणित पृथक पन्ना संलग्न करें)

मंत्रालय/विभाग	धारित पद	से	तक	वेतनमान और मूल वेतन	कार्य का स्वरूप

9. वर्तमान नियोजन का स्वरूप, जैसे तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी

10. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है तो कृपया उल्लेख करें:

(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख

(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि

(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं

11. वर्तमान नियोजन के संबंध में अन्य ब्यौराः कृपया उल्लेख करें कि आप किसके अधीन कार्यरत हैं

(क) केन्द्रीय सरकार

(ख) राज्य सरकार)

(ग) स्वायत्त संगठन) तदर्थ हेतु (ख) से (ड.) लागू नहीं।

(घ) सरकारी उपक्रम/विश्वविद्यालय)

(ड.) अन्य)

12. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं और संशोधन-पूर्व वेतनमान भी दर्शाएं

13. वर्तमान में प्रतिमाह प्राप्त कुल परिलब्धियां

14. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं

15. अन्य सूचना, यदि कोई हो

16. अभ्युक्तियां, यदि कोई हो

आवेदक के हस्ताक्षर

पता.................................

....

आवेदक द्वारा दिए गए सेवा विवरणों का सत्यापन सेवा अभिलेखों से कर लिया गया है और उन्हें सही पाया गया है ।

(i) प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी के विरुद्ध न तो कोई सर्तकता संबंधी मामला लंबित अथवा न ही विचाराधीन है ।

(ii) प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई मुख्य/गौण दंड नहीं लगाया गया है ।

(iii) प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदेह से परे है ।

सक्षम प्राधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर